सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 843 राँची, गुरुवार, 24 अक्टूबर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

14 अक्टूबर, 2019

आदेश संख्या- 5/आरोप-1-27/2014 का०- 8246-- निगरानी थाना कांड सं0-09/2006, दिनांक 06.11.2006 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री आसफ अली, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-811/03, गृह जिला- राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ, देवघर को वादी श्री धरनी मेहरा से दिनांक 07.11.2006 को 2000 रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के कारण विभागीय आदेश सं0-7053, दिनांक 29.12.2006 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय आदेश सं0-3596, दिनांक 17.07.2007 द्वारा आदेश निर्गत की तिथि से इन्हें निलंबन मुक्त किया गया एवं निर्णय लिया गया कि निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामला में माननीय न्यायालय द्वारा निस्तार के बाद किया जायेगा।

2. संबंधित मामले में श्री अली के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर विभागीय संकल्प सं0-9140, दिनांक 11.09.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-7271, दिनांक 12.08.2015 द्वारा निन्दन एवं दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

3. श्री अली के पत्र, दिनांक 22.03.2019 द्वारा निगरानी वाद सं0-11/06 में माननीय विशेष न्यायाधीश ए0सी0बी0, दुमका के न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2018 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निलंबन अवधि के विनियमन करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-3249, दिनांक 23.04.2019 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से न्यायादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-725/विधि, दिनांक 29.06.2019 द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसका Operative part निम्नवत् है-

"In view of the above facts and circumstances, in my considered opinion this is a fit case in which the accuse deserves to be given benefit of doubt and accordingly, benefit of doubt is given to him. Hence the accused Asaf Ali is found not guilty, therefore, he is acquitted from the charges levelled against him U/s 7, 13(1)(d) & 13(2) of Prevention of Corruption Act and is discharged from the liabilities of his bail bonds."

4. चूँकि, श्री अली को निगरानी थाना कांड सं0-09/2006, निगरानी वाद सं0-11/06 में दोष मुक्त किया गया, परन्तु उक्त आरोपों से संबंधित विभागीय कार्यवाही में इन्हें दंडित किया गया है, अतः निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री अली को दिनांक 07.11.2006 से 17.07.2017 तक की निलंबन अवधि में सिर्फ जीवन यापन भत्ता भुगतेय होगा।

(ख) निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 843 -- 50